

न्यायालय :शिवानी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्र. : 889 / 2016)

(संस्थित दिनांक : 24 / 12 / 2016)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. देवेश सिंह पुत्र अतर सिंह राठौर आयु 22 वर्ष
निवासी :- ग्राम फरैरा जिला आगरा उ0प्र0

..... अभियुक्त ।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 08.05.2018 को घोषित)

01. अभियुक्त देवेश सिंह ने धारा 279, 337 (10 बार) भा.दं.सं. के प्रावधान अंतर्गत आरोपित अपराध बिना किसी दबाव के स्वेच्छया पूर्वक अपराध करना स्वीकार किया ।
02. अभियुक्त की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उस धारा 279, 337 (10 बार) भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।
03. अभियुक्त को धारा 279, 337 (10 बार) भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध का दोषी पाकर अंतर्गत धारा 279, 337 (10 बार) भा.दं.सं. के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है ।
04. अभियुक्त के कृत्य के परिणामस्वरूप आहतगण को हुयी हानि के प्रतिकर हेतु आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त प्रत्येक आहत को धारा 357 (3) द.प्र.सं. के प्रावधान अंतर्गत 1000-1000 रुपये कुल 10,000/- रुपये प्रतिकर राशि अदा करेगा । उक्त राशि आहतगण को नोटिश जारी कर प्रदान की जाये ।
05. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन छोटा हाथ क. यूपी83 एटी 4601 अंतरिम सुपुर्दगी पर पंजीकृत स्वामी को प्रदान किया गया है । सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में भारहीन समझा जाये ।
06. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किये जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित ।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(शिवानी शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(शिवानी शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

